अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायपुर(छत्तीसगढ़)
All India Institute of Medical Sciences Raipur (Chhattisgarh)
G. E. Road, Tatibandh,
Raipur-492 099 (CG)
www.aiimsraipur.edu.in

क./अस्प.प्रशा./एम्स.रायपुर/2021/1591 दिनांक – 13/09/21

//आदेश//

प्रायः यह देखा जा रहा है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायपुर में कार्यरत् नर्सिंग अधिकारियों द्वारा अर्जित/परिर्वतित/अर्द्धवेतन/आकस्मिक अवकाश उपभोग पश्चात अपने कर्तव्य स्थल में रात्रि पाली में कार्यग्रहण किया जाता है, जिसका सत्यापन वार्ड प्रभारी की अनुपस्थिति में संभव नहीं है।

उपरोक्त के संबंध में समस्त नर्सिंग अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है, कि समस्त प्रकार के अवकाश उपभोग उपरांत प्रातः कालीन पाली अथवा द्वितीय पाली में वार्ड प्रभारी की उपस्थिति में ही कार्यग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे एवं समस्त वार्ड प्रभारियों को निर्देशित किया जाता है, कि नर्सिंग अधिकारियों के अवकाश समाप्ति पश्चात् उनका कार्यभार केवल प्रथम पाली अथवा द्वितीय पाली में ही कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करेगें, और इस तथ्य की पुष्टि संबंधित सहायक नर्सिंग अधीक्षक के द्वारा किया जावेगा।

उपरोक्त निर्देशों का पालन कड़ाई से किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

(डॉ. नितिनकुमार बोरकर)
उप चिकित्सा अधीक्षक
एम्स रायपुर (छ.ग.)

प्रतिलिपि :–

1. निदेशक, एम्स रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. उपनिदेशक (प्रशासन), एम्स रायपुर की ओर सूचनार्थ।
3. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, एम्स रायपुर की ओर सूचनार्थ।
4. प्रशासनिक अधिकारी (अस्पताल), एम्स रायपुर की ओर सूचनार्थ।
5. समस्त सहायक नर्सिंग अधीक्षक, एम्स रायपुर की ओर सूचनार्थ।
6. समस्त वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी /वार्ड प्रभारी, एम्स रायपुर की ओर पालनार्थ।
7. समस्त नर्सिंग अधिकारी, एम्स रायपुर की ओर पालनार्थ।
8. स्थापना शाखा (नर्सिंग), एम्स रायपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. कार्यालयीन प्रति।